न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120039052025
Warrant or Summons Criminal Case/2046/2025

परिवाद संख्या–992/2025
राहुल अग्रवाल बनाम श्रीमती तरन्नुम
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–18.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादी राहुल अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी श्रीमती तरन्नुम के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी / परिवादी उपरोक्त शान्तिप्रिय कानून मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है तथा परिवादी व विपक्षी एक दूसरे से पूर्ण रुप से परिचित हैं। विपक्षी के द्वारा प्रार्थी / परिवादी से अपने निजी आवश्यक कार्य करने हेतु 30.06.2025 को एक माह के लिए बोलकर प्रार्थी / परिवादी से 80 हजार रुपये नकद उधार मांगे। प्रार्थी/परिवादी द्वारा विपक्षी पर विश्वास करते हुये विपक्षी को 80,000/– रुपये (अस्सी हजार रुपये) एक माह के लिए नकद उधार दिये गए। यह कि एक माह पश्चात प्रार्थी / परिवादी के तकादा करने पर विपक्षी के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–गढ़मुक्तेश्वर के खाता सं0–41868100005393 का चैक सं0–'000002' अंकन 80,000/– रुपये दिनांकित 31.07.2025 का परिवादी उपरोक्त को दिया और विश्वास दिलाते हुय कहा कि आप चैक को बैंक मे लगा देना, जैसे ही आप उक्त चैक को अपने खाते में जमा करेंगे तो बैंक द्वारा आपको भुगतान करा दिया जायेगा। प्रार्थी/परिवादी ने अपने यूको बैंक शाखा गढ़मुक्तेश्वर के खाता सं0–25000110124949 में विपक्षी के कहे अनुसार विपक्षी के द्वारा दिया गया चैक सं0–000002 को दिनांक 01.08.2025 मे जमा किये परन्तु दिनांक 02.08. 2025 को बैंक द्वारा "Account blocked situation covered in 2125" की टिप्पणी के साथ उक्त चैक रिटर्न मीमो के साथ वापिस कर दिया। प्रार्थी / परिवादी ने विपक्षी को इस बारे मे व्यक्तिगत रुप से अवगत कराया और विपक्षी से अपनी धनराशि अंकन 80,000/– रुपये मांगे तो विपक्षी के द्वारा प्रार्थी / परिवादी को धनराशि देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। विपक्षी न तो नकद भुगतान कर रही हैं और ना ही अपने खाते में धनराशि जमा कर रही हैं जिस कारण चैक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार विपक्षी प्रार्थी / परिवादी को लगातार धोखा देती चली आ रही हैं और अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रही हैं और विपक्षी की नीयत में बदनियती आ गयी है जिस कारण विपक्षी प्रार्थी / परिवादी को उक्त चैक का भुगतान नहीं कर रही हैं। प्रार्थी / परिवादी ने विपक्षी/अभियुक्ता को एक नोटिस दिनांक 20.08. 2025 को बजरिये पंजीकृत डाक प्रेषित जो विपक्षी / अभियुक्ता पर दिनांक 21. 08.2025 को विधिवत् तामीला हो चुका है, तामीला होने के पश्चात् समय सीमा के अंतर्गत रकम नहीं लोटायी है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एक किता असल चैक संख्या 000002, अंकन 80000/– रूपये दिनांकित

31.07.2025, एक किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 20.08.2025 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

तलबी के प्रश्न पर परिवादी राहुल अग्रवाल के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी श्रीमती तरन्नुम द्वारा क किता असल चैक संख्या 000002, अंकन 80000/– रूपये दिनांकित 31.07.2025 दिया गया था, जो "Account blocked situation covered in 2125" की टिप्पणी के साथ उक्त चैक रिटर्न मीमो के साथ वापिस कर दिया। परिवादी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक 18.09.2025 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त श्रीमती तरन्नुम के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

आदेश

अतः अभियुक्त **श्रीमती तरन्नुम पत्नी आशू निवासी स्याना बस स्टैण्ड के पीछे, आदर्श नगर, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक–20.04.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।

2. परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।

3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.04.08 13:03:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court